

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

संख्या: ए-32016(11)I/2007-प्रशा.गोप.

नागपुर, दिनांक 07/04/2017

कार्यालय आदेश संख्या: 60


विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-‘ग’) की सिफारिश पर भारतीय खान ब्यूरो के निम्नलिखित प्रयोगशाला परिचर एवं सेक्शन कटर पे-मेट्रिक्स लेवल-1 (रु.18000-56900) को स्थानापन्न रूप में वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद पर, जिनका वेतन पे-मेट्रिक्स पर लेवल-2 (रु.19900-63200) में पदोन्नति प्रदान की जाती है, और उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाए गए प्राधिकारियों के अंतर्गत तैनात किया जाता है। उनकी पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वे वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद का कार्य-भार ग्रहण करेंगे। यदि इन कार्मिकों को यह पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार हो तो वे निर्देशानुसार वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद पर जल्द से जल्द अथवा दिनांक 05.05.2017 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करें।

क्र. सं.	नाम एवं वर्तमान पदनाम	किसे रिपोर्ट करें	संवर्ग	मंत्रालय की स्वीकृत पत्र संख्या एवं तारिख
1.	श्री डी.एम. नासरे, प्रयोगशाला परिचर	मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी आधुनिक खनिज प्रक्रमण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, नागपुर।	अनारक्षित पद (UR)	A-11013/3/81 - M.VI dated 8.2.82 Plan (S&T)
2.	श्री रोहन एस. तिजारे, सेक्शन कटर	प्रभारी अधिकारी (अ.प्र.) क्षेत्रीय अयस्क प्रसाधन प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, भा.खा.ब्यू. बंगलुरु	अनारक्षित पद (UR)	20/2/65-M.III dated 7.11.70 Non Plan
3.	श्री एस.डी. तिजारे, प्रयोगशाला परिचर	मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, आधुनिक खनिज प्रक्रमण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, नागपुर।	अनारक्षित पद (UR)	A-11013/3/81 - M.VI dated 8.2.82 Plan(S&T)

02. उपर्युक्त कर्मचारियों का ध्यान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/6/75-स्था(डी), दिनांक 30.12.1976 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/71-स्था.(डी) दिनांक 01.10.1981 की ओर आकर्षित किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि वे वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर के पद का कार्यभार दिनांक 05.05.2017 तक ग्रहण करें अथवा उस तिथि तक पदोन्नति स्वीकार न करने के बारे में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत करें।


03. उक्त कर्मचारी एफ.आर.22(I)(a)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प एक माह के भीतर दें।

04. जिन कर्मचारियों का ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना अंतर्गत वेतन निर्धारण हो चुका है, उन्हें पुनः एफ.आर.22(I)(a)(1) के तहत वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।


 (कप्तान एस.एस. चौधरी)
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं
 कार्यालय अध्यक्ष

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (अ.प्र.), खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. मुख्य अचस्क प्रसाधन अधिकारी, आधुनिक खनिज प्रक्रमण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (अ.प्र.), क्षेत्रीय अचस्क प्रसाधन प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, भारतीय खान ब्यूरो, बंगलुरु।
4. प्रशासन अधिकारी (बजट), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
6. प्रतियॉ: वैयक्तिक मिसिल / भर्ती सेल / गोप.सेल।


(डी. के. स्वामी)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी